फा.सं. 4-181/2019-20(रा.म.आ.)-195वीं बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली- 110 025

4 सितंबर, 2019

विषय: आयोग की 195वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हाल में तारीख 23 अगस्त, 2019 को आयोग की 195वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव
2. उप सचिव, रा.म.आ.
3. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी, रा.म.आ.
4. सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, आयोग की वेबसाइट पर कार्यवृत्त अपलॉड करने के लिए
5. कार्यालय प्रति
6. गार्ड फाइल

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 23 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 195वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6.	सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7.	सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1.	श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ज्योति सिंघल	उप सचिव
3.	सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4.	सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5.	सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6.	श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
7.	सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 195/I/1:

तारीख 17 और 18 जुलाई, 2019 को आयोजित आयोग की 194वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 17 और 18 जुलाई, 2019 को आयोजित आयोग की 194वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 195/I/2:

आयोग की 186वीं बैठक की शेष मदों और 193वीं और 194वीं बैठकों की सभी मदों पर की गई कार्रवाई।

आयोग द्वारा 186वीं बैठक की शेष मदों और 193वीं और 194वीं बैठकों की सभी मदों पर की गई कार्रवाई कार्रवाई को नोट कर लिया गया है। कार्यसूची मद सं. 194/I/5 के संबंध में की गई कार्रवाई के प्रति निर्देश करते हुए यह विनिश्चय किया गया कि अनुसंधान और सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आयोजित करने के प्रस्तावों की समय-सीमा को और दो सप्ताह के लिए अर्थात् तारीख 15 सितंबर, 2019 तक बढ़ाया जा सकता है।

कार्यसूची मद सं. 195/I/3:

विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पुनरीक्षित) के लिए मॉड्यूल

आयोग ने विचार-विमर्श किया और केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबंद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिन विश्वविद्यालयों को माना गया है, के लिए देश भर में 'एक दिन' का विधिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए पुनरीक्षित मॉड्यूल के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया जाएगा और विभिन्न संस्थाओं से ऑनलाइन प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए इसे अपलॉड किया जाएगा। यह भी विनिश्चय किया गया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विषय को विनिर्दिष्ट रूप से कार्यसूची के परिशिष्ट I में जोड़ा जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 195/I/4:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों की समीक्षा/पंजीकरण/कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा

आयोग ने विचार-विमर्श किया और शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों की समीक्षा/पंजीकरण/कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा के लिए अनुमोदन प्रदान किया। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि शिकायतों का शीघ्रतापूर्व निपटारा सुनिश्चित करने के लिए हर समय दो सदस्य अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।

कार्यसूची मद सं. 195/I/5:

राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव की सिफारिश की है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।

कार्यसूची मद सं. 195/I/6:

संविदा के आधार पर परामर्शदाता- मीडिया/सोशल मीडिया की नियुक्ति

आयोग ने विचार-विमर्श किया और एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शदाता (मीडिया/सोशल मीडिया) को नियुक्त करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 195/I/7:

कलैंडर वर्ष 2019-20 (पुनरीक्षित) के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए पुनरीक्षित प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 195/I/8:

राष्ट्रीय महिला आयोग में महिला कल्याण प्रकोष्ठ और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ का विलयन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और महिला कल्याण प्रकोष्ठ और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ का विलय करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया तथा इसे 'महिला कल्याण प्रकोष्ठ और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ' के रूप में पुन:नामित किया। विलय किया गया प्रकोष्ठ दिव्यांग महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं से संबंधित क्षमता निर्माण विषयों पर भी कार्यवाही करेगा।

कार्यसूची मद सं. 195/I/9:

चैलेंज इन यूज़ ऑफ आईसीटी अमंग रूरल वीमेन फॉर इलेक्ट्रोनिक डेवल्पमेंट एंड इम्पावरमेंट विद स्पेशल रेफ्रेंस टू फार्मिंग प्रैक्टिस (कृषि परिपाटी के विशेष संदर्भ के संबंध में इलेक्ट्रोनिक विकास और सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच आईसीटी के उपयोग का सामना)

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. भारथीदासन यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय): पेरमबलुर, तमिलनाडू द्वारा चैलेंज इन यूज़ ऑफ आईसीटी अमंग रूरल वीमेन फॉर इलेक्ट्रोनिक डेवल्पमेंट एंड इम्पावरमेंट विद स्पेशल रेफेंस टू फार्मिंग प्रैक्टिस (कृषि परिपाटी के विशेष संदर्भ के संबंध में इलेक्ट्रोनिक विकास और सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच आईसीटी के उपयोग का सामना) नामक शीर्षक की रिपोर्ट आयोग के समक्ष स्वीकार करने के लिए रखी जा रही है।

2. संगठन से अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश किया जाएं।
3. तीसरी और अंतिम किश्त अर्थात् कुल रकम का 20% (57,120 रूपये) निर्मोचित की जाएं।
4. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 195/I/10:

इम्पैक्ट ऑफ डिजीटल इंडिया ऑन वीमेन (इम्पैक्ट ऑफ डिजीटल इंडिया ऑन रूरल एंड अर्बन वीमेन: ए कम्पैरटिव स्टडी इन आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश में महिलाओं पर डिजीटल इंडिया का प्रभाव (ग्रामीण और शहरी महिलाओं पर डिजीटल इंडिया का प्रभाव): एक तुलनात्मक अध्ययन)

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. आंध्र लोयल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश द्वारा इम्पैक्ट ऑफ डिजीटल इंडिया ऑन वीमेन (इम्पैक्ट ऑफ डिजीटल इंडिया ऑन रूरल एंड अर्बन वीमेन): ए कम्पैरटिव स्टडी इन आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश में महिलाओं पर डिजीटल इंडिया का प्रभाव (ग्रामीण और शहरी महिलाओं पर डिजीटल इंडिया का प्रभाव): एक तुलनात्मक अध्ययन) नामक शीर्षक की रिपोर्ट आयोग के समक्ष स्वीकार करने के लिए रखी जा रही है।
2. संगठन से अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश किया जाएं।
3. तीसरी और अंतिम किश्त अर्थात् कुल रकम का 20% (1,39,860 रूपये) निर्मोचित किए जाएं।
4. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 195/I/11:

डायनामिक, करंट एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल आपर्टूनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट एंड वोलंटरी आर्गेनाईजेशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग (वीमेन एंड चाइल्ड) इन सिलेक्टेड फाइव स्टेट ऑफ़ इंडिया (भारत के पांच चयनित राज्यों में ''मानवीय दुर्व्यापार (महिला और बालक) पर सरकार और स्वैच्छिक संगठन के लिए गत्यात्मक सामयिक प्रयास और अंतरराष्ट्रीय अवसर)'' अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल, रांची, झारखंड द्वारा डायनामिक, करंट एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल आपर्टूनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट एंड वोलंटरी आर्गेनाईजेशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग (वीमेन एंड चाइल्ड) इन सिलेक्टेड फाइव स्टेट ऑफ़ इंडिया (भारत के पांच चयनित राज्यों में ''मानवीय दुर्व्यापार (महिला और बालक) पर सरकार और स्वैच्छिक संगठन के लिए गत्यात्मक सामयिक प्रयास और अंतरराष्ट्रीय अवसर) नामक शीर्षक की रिपोर्ट आयोग के समक्ष स्वीकार करने के लिए रखी जा रही है।
2. संगठन से अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश किया जाएं।
3. तीसरी और अंतिम किश्त अर्थात् कुल रकम का 20% (70,560 रूपये) निर्मोचित किए जाएं।
4. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 195/I/12:

दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध अपराध (सीएडब्ल्यू) की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार केंद्रीय जेल कोलवाले, के मामले में माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की गई कार्रवाई रिपोर्ट का अनुसमर्थन किया।

कार्यसूची मद सं. 195/I/13:

कारागार की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार केंद्रीय जेल बेऊर, पटना की निरीक्षण रिपोर्ट और इसमें अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन किया। यह विचार व्यक्त किया गया कि दौरा पूरा होने के दस दिन के भीतर दौरा रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी।

कार्यसूची मद सं. 195/Iए/1:

राष्ट्रीय महिला आयोग में सलाहकार समिति का गठन

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सलाहकार समिति का गठन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 195/Iए/2:

इश्यूज रिलेटेड तो केयर ऑफ़ एल्डर्ली वीमेन इन केरल (केरल में वृद्ध महिलाओं की देखभाल करने से संबंधित मुद्दें)

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. 'अनुसंधान संस्थान, राजागिरी'' द्वारा इश्यूज रिलेटेड तो केयर ऑफ़ एल्डर्ली वीमेन इन केरल (केरल में वृद्ध महिलाओं की देखभाल करने से संबंधित मुद्दें) नामक शीर्षक की रिपोर्ट आयोग के समक्ष स्वीकार करने के लिए रखी जा रही है।
2. संगठन से अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश किया जाएं।
3. तीसरी और अंतिम किश्त अर्थात् कुल रकम का 20% (1,02,000 रूपये) निर्मोचित किया जाएं।
4. आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 195/II/1:

तारीख 31.07.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 31.07.2019 तक व्यय विवरणी को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/2:

एआईआरबीएनबी इंक. और गुजरात राज्य महिला आयोग के सहयोग से गिर, राष्ट्रीय पार्क, गुजरात में आयोजित घरों में रूकने से संबंधित पर्यटन पर कार्यशाला प्रशिक्षण की रिपोर्ट।

आयोग ने तारीख 8 अगस्त, 2019 को एआईआरबीएनबी इंक. और गुजरात राज्य महिला आयोग के सहयोग से गिर, राष्ट्रीय पार्क, गुजरात में श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष की अध्यक्षताधीन घर पर रूकने से संबंधित पर्यटन प्रशिक्षण कार्यशाला पर प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/3:

गिर राष्ट्रीय पार्क, जूनागढ़, गुजरात के 'मालधारी जनजाति समाज' पर दौरे की रिपोर्ट

आयोग ने तारीख 9 अगस्त, 2019 को गिर राष्ट्रीय पार्क, गुजरात की मालधारी जनजाति समुदाय से संबंधित दौरे की व्यापक रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/4:

मासिक रिपोर्ट-शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट (जुलाई, 2019) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/5:

फा.सं. 8/8690/रा.म.आ./आरएस/एनएमजी- भटिंडा में अभिकथित बलात्कार के मामले की जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने विचार-विमर्श किया और तथ्य पता लगाने वाली रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/6:

कारागारों की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन

आयोग ने नोट कर लिया है और केंद्रीय कारागार मैसुरू और केंद्रीय कारागार बेंगलुरू की निरीक्षण रिपोर्टों को उनके अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 195/II/7:

टीएमएसएसएस-सोनथम स्वाधार गृह, मन्नापुरम, तिरूचरापल्ली के स्वाधार गृह पर दौरे की निरीक्षण रिपोर्ट

आयोग ने तारीख 2 अगस्त, 2019 को आयोजित टीएमएसएसएस-सोनथम स्वाधार गृह, मन्नापुरम, तिरूचरापल्ली के स्वाधार गृह पर दौरे की निरीक्षण रिपोर्ट के दौरे के संबंध में व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/8:

फा.सं. 15/95/2019-20/रा.म.आ.(एसएम) वाले मामलों में तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट

आयोग ने उन्नाव बलात्संग पीडिता, उसके संबंधी तथा उसके वकील के सड़क दुर्घटना की बाबत तथ्य पता लगाने वाले दल को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 195/II/9:

फा.सं. 15/67/2019-20/रा.म.आ.(एसएम) वाले मामलें में तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट

आयोग ने, मंगलौर में ‘महाविद्यालय की लड़की साथ सामूहिक बलात्संग करने के लिए गिरफ्तार पांच व्यक्ति’ शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट की बाबत तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(मीनाक्षी गुप्ता)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.